फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक – 15.05.2026

थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 271/2025 धारा 55/111(2)/230/232/248b/308(6)/61(2)(a)/351(3)/356(1) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ से सम्बन्धित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन,कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन,श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा कोतवाली फतेहगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 271/2025 धारा 55/111(2)/230/232/248b/308(6)/61(2)(a)/351(3)/356(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्ता को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण– दिनांक 11.10.2025 को वादी मुकदमा श्री अजय चौहान पुत्र श्री राधेलाला चौहान निवासी बधौआ थाना कोतवाली फतेहगढ जनपद फर्रुखाबाद की तहरीर व एसआईटी टीम की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली फतेहगढ में मु0अ0सं0 271/2025 धारा 55/111(2)/230/232/248b/308(6)/61(2)(a)/351(3)/356(1) बीएनस बनाम 1. अवधेश मिश्रा पुत्र संतोष कुमार मिश्रा निवासी पालीवाल गली बेवर रोड भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ जनपद फर्रुखाबाद 2. अभियुक्ता 3. (02 से 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात) पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता को थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्ता द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैनें मुकदमें में नामित व अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलकर अपने निजी, आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए लोगो के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य गढ़े एवं गंभीर धाराओं में क्षेत्र के लोगो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर व फँसाने की धमकी देकर रुपये वसूले और अपने निजी हितो की पूर्ति की।

अभियुक्ता उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 271/2025 धारा 55/111(2)/230/232/248b/308(6)/61(2)(a)/351(3)/356(1) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ

02.अन्य जनपद व थानों से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक पूनम अवस्थी
2. का0 सोनू सिंह
3. का0 अनुज कुमार
4. का0 अभिषेक सिंह
5. म0का0 पूजा गौतम
6. का0 धर्मेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा दिनांक 16.06.2026 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक युवक के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 83/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नफीस पुत्र दौलतशेख उर्फ दौलतशेर निवासी ग्राम कटिया थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

01. 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त नफीस उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 83/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद
2. मु0अ0सं0 98/22 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधि0

मीडिया सेल फतेहगढ़।